न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023 / 102 **दायरा दिनांक : 04.07.2023**

उनवान

1. गोविन्द लाल आत्मज स्वर्गीय किशन गोपाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां
2. प्रभू लाल आत्मज स्वर्गीय किशन गोपाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. श्याम बिहारी आत्मज स्वर्गीय हरिचरण जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219
2. महावीर आत्मज स्वर्गीय हरिचरण जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 52 / 2018 निर्णय दिनांक 09.02.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 552 / 2654 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर, खसरा नं. 354 / 2484 रकबा 1.96 हेक्टर माल मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2023 से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि हुक्म जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां में कुल 3 किता की 4.22 हेक्टर कृषि आराजियात स्थित है। वादीगण अपीलांट्स उपरोक्त भूमि के तन्हा खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट का उपरोक्त भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट को वादीगण अपीलांटान के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाना चाहिए तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादीगण अपीलांट्स के पिता श्री किशन गोपाल जी के खाते वाद विषयक, अपील विषयक आराजीयात सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। वादीगण अपीलांट्स वाद विषयक आराजीयात, अपील विषयक आराजीयात के विधिवत खातेदार टीनेन्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट्स का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होना मानकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति का बिन्दु उसके पक्ष में नहीं होना मानकर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर हुक्त जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण अपीलांट्स के पक्ष में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध ता फैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट वाद विषयक आराजीयात, अपील विषयक आराजीयात अपीलांट्स के कब्जे काश्त में न तो स्वयं हस्तक्षेप करें और न अपने एजेन्ट से करावें तथा वादीगण अपीलांटान को वाद विषयक, अपील विषयक आराजीयात शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.06.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां में कुल 3 किता की 4.22 हेक्टर आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया था। सैटलमेंट का बंटवारा सही है। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार है, खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हम खातेदारों की अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की एवं प्रतिवादी का स्वीकार किया, जो विधि विरूद्ध है। हमने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया जिसका रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन नहीं किया है, धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 633, 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 692 व 2020(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 265 की नजीरें उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा दूसरा प्रार्थना पत्र खारिज किया। हरिचरण पुत्र अमरलाल ने वादग्रस्त आराजी क्रय की थी। जो नामान्तरकरण सं. 302 दिनांक 02.04.1971 को तस्दीक हुआ। खसरा नं. 1122 की जो भूमि है, दौराने सैटलमेंट अपीलांट का नाम दर्ज हो गया, इसे

(दीप्ति प्रेमचन्द मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(गोविन्दलाल) को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक दावा किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि खसरा नं. 552/2654 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नं. 354/2484 रकबा 1.96 हैक्टर आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा जमाने को आमदा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने कारिन्दों, प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रार्थीगणों को विवादित आराजियात से बेदखल न करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा न करे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रतिपक्षी के पिता श्री हरिचरण पुत्र श्री अमरलाल ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 10 बीघा खातेदार श्रीमती डाली बेवा भंवरिया, जाति काछी, निवासी मोठपुर से कीमतन क्रय की थी जिसका

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नामान्तरण नं. 302 दिनांक 02.04.1971 को प्रतिपक्षीगण के पिता हरिचरण के नाम नियमानुसार तस्दीक हुआ है। बाद खरीद से प्रतिपक्षीगण के पिता एवं उनकी मृत्युपरांत प्रतिपक्षीगण स्वयं काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नं. 1122 के हाल खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हैक्टर कायम हुए है परंतु सेटलमेंट विभाग द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दी है, इसलिए प्रार्थीगण का खातेदारी में गलत रूप से नाम दर्ज हो जाने से वे प्रतिपक्षीगण की क्रयशुदा आराजी पर से प्रतिपक्षीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर एवं अन्यत्र रहन बेचान करने की धमकियां दे रहे है। आराजी खसरा नं. 354 वर्तमान रकबा 1.62 हैक्टर को प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा पाने के कानूनन अधिकारी एवं नलिशी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने से आराजी को रहन, बेचान खुर्द–बुर्द न करे तथा प्रतिपक्षीगण की काश्त व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे ना अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.03.2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू की खाता सं. 148 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 354 रकबा 1.6200 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण अपीलांट एवं उनकी बहन शांतिबाई पुत्री किशनगोपाल के खाते दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2036–2039 के अनुसार खसरा नं. 1122/1925 रकबा 10 बीघा आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज थी। अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ग्राम मोठपुर की नामान्तरण पंजिका के अनुसार नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 02.04.1971 के अनुसार खातेदार डाली बेवा भंवरया द्वारा अपने खाते की ग्राम मोठपुर की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से खसरा नं. 1122 की 10 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से हरिचरण पुत्र अमरलाल, जाति धाकड को बेचान करने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कारण नामान्तरण सं. 302 अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल, जाति धाकड के नाम तस्दीक किया गया। अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग सन् 1989 से 2009 के अनुसार साबिक खसरा नं. 1122/1925 रकबा 10 बीघा के हाल खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर बने हैं, जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार प्रार्थीगण अपीलांट के खाते दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि हाल खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर सैटलमेंट विभाग द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिये गये हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सैटलमेंट जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके की खसरा नं. 354 की विवादित आराजी वैध रूप से उनके खाते दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर संवत 2036–2039, नामान्तरण पंजिका के अनुसार नामान्तरण सं. 302 एवं मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग सन् 1989 से 2009 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा